कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 1049 /वि. बै.परि./ 2021 भोपाल, दिनांक 24/06/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय (अनुदान प्राप्त)/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश |

विषय: स्नातक स्तर के वीडियो व्याख्यान (ई-कंटेंट) के निर्माण हेतु इच्छुक शिक्षकों का आमंत्रण |

सन्दर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक: 849/वि. बै.परि./ 2021; दिनांक: 17.05.2021 |

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर मुख्य विषयों वीडियो व्याख्यानों का निर्माण कर उन्हें विद्यार्थियों के हितार्थ उच्च शिक्षा की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है | इस सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वीडियो व्याख्यान निर्माण हेतु इच्छुक शिक्षकों से नामंकन चाहे गए थे | ऐसे कतिपय शिक्षक जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए उनके द्वारा आवेदन हेतु गूगल फॉर्म पुनः उपलभ कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है |

2/ चुने गए विषयों में प्रत्येक प्रश्नपत्र की प्रत्येक इकाई को 6 मुख्य भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग पर 30/40 मिनट की अवधि के वीडियो व्याख्यान का निर्माण किया जाएगा |

3/ वीडियो व्याख्यान में यथासंभव पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन, एनीमेशन एवं चित्रों का उपयोग किया जाना चाहिए|

4/ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपरोक्त विषयों के तकनीकी रूप से जानकार/इच्छुक शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाना है | इसके लिए इच्छुक शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है| ये शिक्षक शासकीय/अशासकीय (अनुदान प्राप्त)/अशासकीय महाविद्यालय से नियमित शिक्षक अथवा अथिथि विद्वान् हो सकते हैं |

5/ इन वीडियो व्याख्यान के निर्माण हेतु किसी भी स्तर पर कोई मानदेय देय नहीं होगा | प्रदेश की उच्च शिक्षा में, विशेषतः इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय विशेष योगदान देने हेतु समस्त संबंधितों को विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा |

6/ विशेषज्ञों द्वारा निर्मित इन वीडियो व्याख्यानों पर विभाग का स्वामित्व होगा एवं इन्हें विद्यार्थियों के हितार्थ उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर लिंक के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है | इन व्याख्यानों को इन्टरनेट पर वैश्विक स्तर पर देखा जाना संभव हो सकेगा |

7/ वीडियो व्याख्यानों के निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों को कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः स्वयं के स्त्रोतों जैसे लैपटॉप, माइक, मोबाइल फ़ोन, इन्टरनेट आदि का उपयोग करना होगा | इन व्याख्यानों में

मानक 4 घटकों (E-text, Self Learning, Source for further Reading and Self Assessment/evaluation) को समाहित किया जाना आवश्यक होगा |

8/ वीडियो व्याख्यानों के निर्माण हेतु इच्छुक शिक्षकों को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |

9/ आवश्यकतानुसार जिला/संभाग स्तर पर जिलास्तरीय/संभाग स्तरीय नोडल केन्द्रों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ वीडियो व्याख्यानों के निर्माण हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधायें यथा रिकॉर्डिंग रूम, इन्टरनेट, लिपिकीय/टाइपिस्ट सहायता, आदि उपलब्ध कराई जा सकती हैं | वीडियो व्याख्यान निर्माता शिक्षक, यदि चाहें तो इन केन्द्रों का उपयोग कर सकते हैं |

10/ वीडियो व्याख्यान निर्माण हेतु इच्छुक शिक्षकों से अपेक्षित है कि कि वे इस कार्य हेतु निर्मित गूगल लिंक में अपनी जानकारी भरकर दिनांक: दिनांक: 05.07.2021 तक अनिवार्य रूप से सबमिट करें जिससे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके |

Google Link: https://forms.gle/iZhqgfwRm6axrTaw9

https://forms.gle/iZhqgfwRm6axrTaw9

(चंद्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म. प्र.

पृ. क्रमांक 1050 वि. बै.परि /2021 भोपाल, दिनांक 24/06/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ |
2. डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, रूसा की ओर सूचनार्थ एवं संयोजन हेतु |

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म. प्र.